न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00236 **दायरा दिनांक : 22.11.2019**

उनवान

कल्याणमल पुत्र जगन्नाथ जी, जाति महाजन, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0 (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–

1/1 अशोक कुमार
1/2 सुरेन्द्र कुमार
1/3 राकेश कुमार
। पुत्र कल्याण, जाति महाजन, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– कालू पुत्र नाथू, जाति मेहर, निवासी चछलाई, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0 (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
1/1– सीताबाई पत्नी नाथू (विधवा), जाति मेहर, निवासी चछलाई, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
1/2– औंकार पुत्र नाथू, जाति मेहर, निवासी चछलाई, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
1/3– शम्भू पुत्र नाथू, जाति मेहर, निवासी चछलाई, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
1/4– गोपाल पुत्र नाथू, जाति मेहर, निवासी चछलाई, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
1/5– फूलबाई पुत्री नाथू, जाति मेहर, निवासी चछलाई, तहसील पिडावा हाल तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
2– रामचन्द्र पुत्र नानूराम, जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0 (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
2/1– धापूबाई पत्नी रामचन्द्र (विधवा), जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
2/2– बालाराम पुत्र रामचन्द्र, जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0 (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
2/2/1– बजरंग पुत्र बालाराम, जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
2/2/2– राजू पुत्र बालाराम, जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
2/3– घासी पुत्र रामचन्द्र, जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
2/4– हीरालाल पुत्र रामचन्द्र, जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
2/5– रूकमणीबाई पुत्री रामचन्द्र, जाति तेली, निवासी शिव मंदिर के पास, सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज0
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री राकेश कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 18.01.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 37/1994 निर्णय दिनांक 19.03.2004 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय् में कल्याणमल ने एक प्रार्थना पत्र इजराय बाबत कब्जा आराजी पेश किया और यह कथन किया कि उक्त इजराय की पालना में सम्माननीय न्यायालय ने नायब तहसीलदार सुनेल को आदेश दिया है कि विवादित भूमि पर डिक्रीदार को कब्जा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संभलाया जावे किन्तु नायब तहसीलदार, सुनेल न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं, डिक्रीदार कई बार नायब तहसील सुनेल में उपस्थित हुआ तथा कब्जा प्राप्त करने के लिये निवेदन किया किन्तु वे कब्जा प्रार्थी को नहीं दिला रहे हैं, टालमटोल कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि डिक्रीदार को विवादित भूमि पर कब्जा दिलाया जाने का आदेश नायब तहसीलदार सुनेल को दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2004 से वादग्रस्त आराजी पर डिक्री में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 को कब्जा दिलाने के आदेश है। इस कम में प्रतिवादी सं. 5 का कब्जा पूर्व में होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की गई जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झालावाड राज0 राजस्व वाद सं. 290/1993 कल्याणमल बनाम कालू दावा बाबत कब्जा आराजी धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी कल्याणमल के हक में डिक्री हुआ। इसकी इजराय कल्याणमल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में इजराय संख्या 37/1994 कल्याणमल बनाम मृतक कालू जर्ये कायम मुकामान दिनांक 11.07.1994 को उक्त न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त इजराय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा कायम होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पिडावा में अन्तरित की गई। उपखण्ड अधिकारी, पिडावा में इजराय का अन्तरण होने के बाद इजराय का नया नम्बर 03/2003 पर कायम होकर इस अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.12.2003 को इजराय पर कार्यवाही आरम्भ की तथा पूर्व आदेशानुसार, तहसील पिडावा, जिला झालावाड को आदेश दिया कि बाद इजराय डिक्री की पालना कर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जावे। इसके पश्चात आगामी दिनांक 19.03.2004 नियत की गई और दिनांक 19.03.2004 को ही इजराय का इस आदेश के साथ निस्तारण किया कि – "पत्रावली पेश हुई, वादग्रस्त आराजी पर डिक्री में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 को कब्जा दिलाने के आदेश हैं। इस कम में प्रतिवादी सं. 5 का कब्जा पूर्व में होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।" – इस प्रकार अजराय की डिक्री के अनुसार पालना नहीं करवायी गई और इजराय एक प्रकार से डिक्रीदार को बिना कोई कब्जा दिलाये खारिज कर दी गई। जिसकी नाराजगी से यह अपील अन्य कारणों के अलावा निम्न कारणों से प्रस्तुत है –

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इजराय पत्रावली पर उपलब्ध सार सग्रंह के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने दिनांक 03.03.2003 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, झालावाड से अन्तरण होने के पश्चात डिक्रीदार अपीलांट को आगामी तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड से पत्रावली अन्तरण होने के आदेश में अधीनस्थ न्यायालय पिडावा में पक्षकारान को किस दिनांक को उपस्थिति देनी है। इस संबंध में कोई तारीख तय नहीं की थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को डिक्रीदार अपीलांट्स को इजराय कार्यवाही सूचना पत्र जारी करना चाहिए था तथा जो भी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इजराय में की जानी थी उसके संबंध में डिक्रीदार अपीलांट्स को संतुष्ट करना चाहिए था, तथा इजराय की कार्यवाही में उन्हें आपत्तियां पेश करने का अधिकार भी देना चाहिए था। इजराय पर डिक्रीदार अपीलांट्स को स्पष्ट रूप से सुना जाना चाहिए था तथा जो भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय को पारित करना था वह डिक्रीदार अपीलांट्स की उपस्थिति में ही पारित किया जाना चाहिए था। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय पिडावा ने डिक्रीदार को इजराय अन्तरण होने के पश्चात् कोई सूचना आगामी तारीख पेशी की जारी नहीं की थी न ही अधीनस्थ न्यायलय के उक्त आदेश की जानकारी डिक्रीदार अपीलांट्स को दी थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को इजराय का वाद अन्तरण आवश्यक रूप से डिक्रीदार अपीलांट्स को आगामी तारीख पेशी के संबंध में सूचना देकर डिक्रीदार अपीलांट्स को सुना जाकर जो भी न्यायोचित आदेश किया जाना था तत्पश्चात् ही पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश मनमाना एक तरफा और विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश विधि की पूर्ण पालना व प्रकिया नहीं अपनाकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। किसी भी पक्ष को बिना सूचना दिये किसी भी न्यायिक

(दीपिचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रकिया में यदि वह पक्षकार है तो उसे सूचना देना विधि व प्रकिया के अनुसार अतिआवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.03.2004 निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में जब उक्त इजराय लम्बित थी, उसी समय डिकीदार कल्याणमल का देहान्त दिसम्बर 1997 को हो गया। बाद देहान्त कल्याणमल उसके कायम मुकामान अपीलांट्स डिकीदार अशोक कुमार, सुरेन्द्र कुमार एवं राकेश कुमार की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय झालावाड में उक्त इजराय में उन्होंने भाग लिया व आगे भी इजराय में उपस्थित होते रहे। इस तथ्य का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा दिनांक 24.12.1997 को दर्ज की गई आदेशिका में भी वर्णन है। इसका ज्ञान बाद अन्तरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को भी था। इसके पश्चात भी विधि विरूद्ध अपीलांट्स को अग्रिम सूचना बाबत कार्यवाही इजराय नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने इजराय का निस्तारण मदयून सं. 2 का भूमि पर कब्जा होना बताकर विधि विरूद्ध आदेश कर दिया, जबकि मदयून सं. 2 (प्रतिवादी सं. 5) रामचन्द्र पुत्र नानूराम, जाति तेली से डिकीदार का कोई संबंध नहीं था। अपितु इजराय भी रेस्पोडेंट मदयून रामचन्द्र के विरूद्ध प्रस्तुत भी प्रस्तुत की है तथा वह इजराय में मदयून भी है। जबकि डिकीदार को मदयून सं. 1 कालू को उत्तराधिकारियों को डिकीदार के खाते व खातेदारी की आराजी से बेदखल किये जाकर डिकीदार को कब्जा दिलाये जाने की डिकी पारित की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय पिडावा ने इस कानूनी बिन्दु को समझा ही नहीं, ना ही उस पर ध्यान देने की जहमत उठाई और मनमाना आदेश पारित कर दिया। इस कारण अधीनस्थ न्यायलय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा द्वारा अपीलांट्स डिकीदार को इजराय में आदेश से पूर्व बाद अन्तरण कोई सूचना नहीं हेने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का ज्ञान नहीं होने से अपील अपीलांट प्रस्तुत नहीं कर सके। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय इजराय दिनांक 19.03.2004 की सूचना काफी तलाश करने के पश्चात और पिडावा अभिभाषक जिन्हें अपीलांट ने तालाशी हेतु नियुक्त किया था, उन्होंने निर्णय की बाद तलाश व जानकारी होने पर इसकी सूचना डिकीदार अपीलांट को दी, तत्पश्चात तुरन्त इजराय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपियां कलेक्ट्रेट, झालावाड से प्राप्त की तत्पश्चात शीघ्रातिशीघ्र यह इजराय इस सम्मानीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत है। इस संबंध में पृथक से धारा 5 अवधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार मियाद में तोसिख (अवधि में छूट) दी जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाने का आदेश दिया जावे।

अतः अपील प्रस्तुत कर न्यायहित में अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे और पत्रावली पुनः इजराय में अपीलांट को सुना जाकर जो भी आदेश गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित किया जावे । इस हेतु प्रकरण इजराय अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण् को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.03.2004 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर डिक्री में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 को कब्जा दिलाने के आदेश है। इस कम में प्रतिवादी सं. 5 का कब्जा पूर्व में होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की गई।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झालावाड राज0 राजस्व वाद सं. 290/1993 कल्याणमल बनाम कालू दावा बाबत कब्जा आराजी धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादी कल्याणमल के हक में डिक्री हुआ। इसकी इजराय कल्याणमल ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में इजराय संख्या 37/1994 कल्याणमल बनाम मृतक कालू जर्ये कायम मुकामान दिनांक 11.07.1994 को उक्त न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त इजराय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा कायम होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पिडावा में अन्तरित की गई। उपखण्ड अधिकारी, पिडावा में इजराय का अन्तरण होने के बाद इजराय का नया नम्बर 03/2003 पर कायम होकर इस अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.12.2003 को इजराय पर कार्यवाही आरम्भ की तथा पूर्व आदेशानुसार, तहसील पिडावा, जिला झालावाड को आदेश दिया कि बाद इजराय डिक्री की पालना कर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जावे। इसके पश्चात आगामी दिनांक 19.03.2004 नियत की गई और दिनांक 19.03.2004 को ही इजराय का इस आदेश के साथ निरस्त किया कि –"पत्रावली पेश हुई, वादग्रस्त आराजी पर डिक्री में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 को कब्जा दिलाने के आदेश हैं। इस कम में प्रतिवादी सं. 5 का कब्जा पूर्व में होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।"

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने दिनांक 03.03.2003 को पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, झालावाड से अन्तरण होने के पश्चात डिक्रीदार अपीलांट को आगामी तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी। इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 03.03.2003 के द्वारा प्रस्तुत इजराय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के न्याय क्षेत्र की है। अतः श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अवलोकन से यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को भेजी जावे। इसके बाद पत्रावली की आदेशिका दिनांक 12.12.2003 को पत्रावली ए. सी. एम. कोर्ट से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। तहसीलदार पिडावा को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाकर दिनांक 19.03.2004 को पेश हो। आदेशिका दिनांक 19.03.2004 को पत्रावली पेश हुई, वादग्रस्त आराजी पर डिक्री में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 को कब्जा दिलाने के आदेश है। इस कम में प्रतिवादी सं. 5 का कब्जा पूर्व में होने के कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।" इससे अपीलांट के इस कथन की पुष्टि होती है कि उभयपक्षकारान को इजराय की पत्रावली दर्ज कर नोटिस सम्मन जारी नहीं किये गये। इजराय के निर्णय में तहसीलदार पिडावा की पालना रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2004 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सी. पी. सी. के नियमों के अनुसार नोटिस सम्मन तामील कर साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड हाल उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.1993 की पालना हेतु प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत रूप से निस्तारण करते हुए निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.02.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा